

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान


विवाद सुगार पुत्र दोइराम	बनाम	1. दोइराम पुत्र सावनर जाति
जाति सुम्हार निवामी जागीवाला		2. सुम्हार निवामी जागीवाला हात निपाकी
दावा बाबत :- 88 RAAC		3. विपेन्द्र पुत्र दोइराम] जागीवाला तं
मुकदमा नम्बर :- 117/21		4. मनोहर पुत्री दोइराम] नाइसी, जिला- मिर्जापुर
निर्णय दिनांक :- 10.11.21		5. राजभानु जति तं 18 मील दूर भादरा

वादी की ओर से वकील प्रसन्न गौशर की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील नरेन्द्र राय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रांही गौजा ग्राम 7 JPAC के खाता नं० 13/14 के मु० नं० 1
किसा नं० 21 ता 25 कुल 1.2650 है० मु० नं० 13 किसान० 1 की
0.1260 है० कुल 1.3910 है० निम्नमें नही 1.3780 है०, गै-मु खाता
0.013 है० राजस्व रिपोर्ट में परिवारी दोइराम के नाम दर्ज है
में तं दोइराम की वजाय दोइराम का नाम कुतमनन किया जाकर
वादी तथा प्रति० नं० 2. बहिमा बराज के खाते पर करकार
दोहरा किया जाते है. इस परिवारी नं० 1, 2 ने अपना हक हिस्सा
वादी व प्रति० नं० 2 के पक्ष में त्याग कर चुका कर दिया है,
इसलिए व्याज दिए गये हिस्से पर निपमानुसार पंजीपत्र शुल्क
उपरा कर व छवि भूमि बैंड के रदन हेतु रदन मुक्त होने
पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में दर्ज कर रिपोर्ट डुरुफ
हरे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़